

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

08.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष की बहस दिनांक 31.12.2019 को सुनी गई। वकील वादी ने बताया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से चक 11 एस0डी0 खाता संख्या 43/40 प0नं0 113/389(12) कि0नं0 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी राजाराम व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। भूमि का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण काश्त की बाबत, रकम बाबत मतभेद बना रहता है। इसलिये हिस्सा व भूमि की किस्म मुताबिक अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू तौर पर बंटवारा हो गया था। इसलिये कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

वाद में कायम तनकीयात का वाद में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :-

तनकीसं.1- आंया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 12 के नाम संयुक्त खाता की वाके चक 11 एसडी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं0 113/389(12) कि0नं0 1 ता 25 कुल 6.325 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में उक्त रकबा वादी व प्रति01 ता 12 के नाम दर्ज है। इसलिये उक्त तनकी वादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकीसं.2- आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त जैरवाद रकबा की घेरुलू बंटवारे के मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार काश्त विभाजन करवाना चाहते हैं।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी सं01 ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि जैरवाद भूमि का घरू बंटवारा हुआ है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकीसं.3- आया कि जैरवाद रकबा संयुक्त खाता का खाता विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब के आधार किया जावे।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार रकबा वादी एवं प्रति0सं0 1 ता 12 के नाम संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। संयुक्त खाता में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक होता है। इसलिये उक्त तनकी वादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकीसं.4- आया कि उक्त जैरवाद रकबा वादी एवं प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त हुआ है तथा आपसी रजामंदी द्वारा घेरुलू बंटवारा किया गया है।

उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या 2 में किया जा चुका है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।





अहकाम
नम्बर
हुक्म की
में जारी हुए

<p>ख हुकम</p> <p>08.01.2020</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p><u>तनकीसं.5-</u> आया के संयुक्त खाता के कारण सभी काश्तकारों द्वारा समय-समय पर काश्त में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।</p> <p>उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये उक्त तनकी इनके विरुद्ध तय की जाती है।</p> <p>उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके चक 11 एस0डी0 के खाता संख्या 43/40 प0नं0 113/389 (12) कि0नं0 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब (मिटस् एवं बाउण्ड) भूमि अनुसार रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन राज0काश्तकारी अधि0 नियम 20 व 21 अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार-सूरतगढ़ पक्षकारों के मध्य संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु बंटवारा हेतु प्रस्ताव मय नक्शा मौका एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित भिजवावें। तहसीलदार-सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(Handwritten Signature)
 (मनोज कुमार मीणा)
 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़

--: अनवान ::--

1. राजाराम पुत्र नौरंगराम जाति खाती सा0 11 एस0डी0 तहसील सूरतगढ

-वादी

बनाम

1. भादरराम } पिसरान नौरंगराम जाति खाती साकिन 11 एस0डी0
2. रामचन्द्र } तहसील सूरतगढ
3. श्योकोरी पत्नि नंदराम जाति खाती साकिन 11 एस0डी0 तहसील सूरतगढ
4. बृजलाल } पिसरान नंदराम जाति खाती साकिन 11 एस0डी0
5. ताराचंद } तहसील सूरतगढ
6. औमप्रकाश }
7. जमना पुत्री नंदराम पत्नि हनुमान जाति खाती साकिन लूनीया तह0अनूपगढ
8. कमला पुत्री नंदराम पत्नि शंकरलाल जाति खाती साकिन लूनीया तह0अनूपगढ
9. औमी पुत्री नंदराम पत्नि मनोहरलाल जाति खाती साकिन 15 जी0बी0 तह0श्रीविजयनगर
10. माया पुत्री नंदराम पत्नि अनतराम जाति खाती साकिन 22 एम0ओ0डी0 तह0पीलीबंगा
11. पार्वती पुत्री नंदराम पत्नि सत्यनारायण जाति खाती सा0पन्नीवाली जाटान तह0सादुलशहर
12. प्रबन्धक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, सरदारगढ
13. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ
14. तहसीलदार सूरतगढ

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-53 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 85 वर्ष 2012 यह मुकदमा वास्ते इन्फिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादी श्री सोमप्रकाश शर्मा, प्रमेन्द्र भाटी व प्रतिवादी श्री राजवीर भादू व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि:-

वादाधीन भूमि वाके चक 11 एस0डी0 के खाता संख्या 43/40 प0नं0 113/389 (12) कि0नं0 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब (मिट्स एवं बाउण्ड) भूमि अनुसार रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन राज0काश्तकारी अधि0 नियम 20 व 21 अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार-सूरतगढ पक्षकारों के मध्य संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु प्रस्ताव मय नक्शा मौका एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित भिजवावें।

नोज.....ग.....मुबलिंग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्टों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.01.2020 को जारी की गई।



(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

